राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

योजना का निर्माण :– यह योजना भारत सरकार द्वारा निर्मित है । राज्यों की स्वेच्छानुसार इस योजना में भागीदारी रखी गई है । म0प्र0 शासन ने स्वेच्छानुसार रबी 1999–2000 से यह योजना लागू की है ।

योजना का उद्देश्य :– इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने पर कृषकों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे प्राकृतिक आपदा के वर्षो में कृषि आय को स्थिर रखना है ।

योजना की मध्यप्रदेश में कियान्वयन एजेन्सी :– एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड है । जिसका क्षेत्रीय कार्यालय क्वालिटी ग्लोबस प्रथम तल एन.एच.12 मैदा मिल के पास भोपाल में स्थित है ।

योजना की विशेष प्रकृति – फसल चयन/अधिसूचित करने का आधार :– इस योजना में विगत वर्षो के औसत उपज के आंकडें जिन फसलों के फसल कटाई प्रयोग के आधार पर उपलब्ध होते है उन्हीं फसलों को राज्य शासन द्वारा अधिसूसचित किया जाता है । योजना के प्रावधान अनुसार प्रत्येक फसल के तहसील इकाई पर 16 फसल कटाई प्रयोग तथा पटवारी हल्का इकाई पर 8 फसल कटाई प्रयोग होना आवश्यक है । विगत वर्षो के औसत उपज के आंकड़ें इन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर निकाले जाते है । जिसमें गेहूं एवं धान के लिये विगत 3 वर्ष तथा अन्य फसलों के लिये विगत 5 वर्ष भारत शासन ने निर्धारित किये है । यह आंकड़ें आयुक्त भू–अभिलेख द्वारा बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराये जाते है ।

फसल कटाई प्रयोगों की वृहत संख्या एवं आंकड़ों की परिशुद्धता :–

उल्लेखनीय है कि योजना प्रावधान अनुसार राज्य में सम्पन्न होने वाले कुल फसल कटाई प्रयोगों की संख्या का 3 से 5 प्रतिशत तक निरीक्षण राष्ट्र प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाना आवश्यक है ।

थ्रेश होल्ड उपज :– उपरोक्त आधार पर विगत वर्षो की जो औसत उपज प्राप्त होती है उसके आधार पर बीमा कम्पनी थ्रेश होल्ड उपज प्रति मौसम निर्धारित करती

है । इसके निर्धारण का आधार क्षतिपूर्ति का स्तर रहता है । जो भारत शासन द्वारा निर्धारित होता है । प्रायः क्षतिपूर्ति का स्तर 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक फसलवार निर्धारित होता है ।

योजना का कियान्वयन :– इस योजना के अन्तर्गत ऋणी तथा गैर ऋणी कृषकों की फसलों का बीमा किया जाता है । अऋणी कृशकों को योजना स्वेच्छिक है । वे अपने नजदीकी सहकारी / ग्रामीण बैंक / राष्ट्रीयकृत बैंक स्वंय जाकर बैंक खाता खुलवाना होगा व अधिसूचित फसल के लिये प्रीमियम राशि जमा कर अपनी फसल का बीमा करा सकते है, ऋणी कषकों को योजना अनिवार्य है ।

फसलें :– प्रदेश में प्रत्येक मौसम हेतु फसलों को अधिसूचित किया जाता है । खरीफ मौसम की अधिसूचित फसलें धान (सिंचित/असिंचित) तुअर, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, ज्वार, मूंगफली, कोदो कुटकी, केला एवं कपास है एवं रबी मौसम में गेहूं (सिंचित/असिंचित) चना,अलसी,राई–सरसो व आलू तथा प्याज है ।

इकाई :– वर्तमान सरकार के प्रयास से खरीफ मौसम में धान सिंचित/असिंचित , तुअर एवं सोयाबीन के लिये पटवारी हल्का इकाई घोषित किया गया है । शेष फसलों जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, कपास, केला, मूंगफली एवं तिल फसलें तहसील इकाई पर अधिसूचित की गई है । इसी तरह रबी 2006–07 में गेहूं, सिंचित , गेहूं असिचित चना , राई–सरसों, हेतु इकाई पटवारी हल्का अधिसूचित की गई है तथा अलसी, आलू, प्याज फसलों के लिये ईकाई अभी तहसील ही रहेगी ।

प्रीमियम :– राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत खाद्य फसलों में खरीफ में बाजरा 2.5 प्रतिशत एवं तिलहनी फसलों के लिये बीमित राशि का 3.50 प्रतिशत अन्य खरीफ फसलों के लिये बीमित राशि का 2.50 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो प्रीमियम देय है।

रबी मौसम में गेहू के लिये 1.50 प्रतिशत अन्य रबी फसलों के लिये 2 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो ।

नगदी फसलों मे कपास के लिये प्रीमियम 8.15 प्रतिशत एवं उद्यानिकी की केला के लिये प्रीमियम दर 1.60 प्रतिशत एवं आलू के लिये 8.00 प्रतिशत तथा प्याज के लिये 5.85 प्रतिशत है ।

प्रीमियम अनुदानः– योजना प्रावधान अनुसार लधु/ सीमांत कृशकों को रबी 2004–05 तक 10 प्रतिशत प्रीमियम अनुदान देय था । जो अभी वर्तमान में भी जारी है।

दावों का निर्धारण :–

$$\text{दावा राशि} = \frac{\text{उपज में कमी}}{\text{थ्रेश होल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

(थ्रेश होल्ड उपज 3 या 5 वर्ष के औसत उपज के आधार पर प्रत्येक मौसम के लिए निर्धारित क्षति पूर्ति के स्तर पर बीमा कम्पनी द्वारा गणना की जाती है ।)

उपज में कमी – थ्रेश होल्ड उपज–वास्तविक उपज (चालू वर्ष की औसत उपज)

भुगतान की प्रकिया :– अधिसूसचित फसलों हेतु निर्धारित इकाई तहसील /पटवारी हल्का पर जिन किसानों द्वारा जिन बैंकों से बीमा कराया होता है यदि उस इकाई पर दावों का निर्धारण होता है तो बीमा कम्पनी संबंधित बैंकों को भुगतान करती है । इससे स्पष्ट है कि निर्धारित इकाई पर यदि दावे बनते है तो उस इकाई में सम्मिलित सभी कृषकों को लाभ प्राप्त होता है । क्योंकि उस इकाई पर फसल कटाई प्रयोग के आधार पर थ्रेश होल्ड उपज की गणना के आधार पर दावों का निर्धारण किया जाता है।

व्यक्तिगत आधार पर दावों का निर्धारण :– योजना प्रावधान अनुसार प्रदेश के अधिकतम दो जिलों को किसानों को योजना का लाभ व्यक्तिगत आधार पर देने का विशेष प्रावधान है । जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में यदि ओला, भूस्खलन, तूफान और बाढ़ की स्थिति आने पर बीमित कृषक को 48 घंटे के अन्तर्गत संबंधित वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी को सूचना देना अनिवार्य है । जिससे बीमा कम्पनी जिला राजस्व

अधिकारियों के सहयोग से क्षतिग्रस्त फसल का आंकलन कर सके । म0प्र0 में खरीफ 2006 में दमोह जिले की हटा तहसील को इसके अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है । इसी तरह रबी 2006–07 में भोपाल जिले की बेरसिया तहसील अध्रिसूचित की गई है। इन जिलों का तथा उनके अन्तर्गत आने वाली तहसीलों की अधिसूचना राज्य स्तरीय समन्वय समिति राजस्व विभाग से घोषित इन जिलों के संबध में प्राकृतिक आपदा की जानकारी के आधार पर निर्णय करती है ।

राज्य शासन की भागीदारी :– योजना प्रावधान अनुसार राज्य शासन को निम्नानुसार भुगतान करना पड़ता है :–

1. बैंक कमीशन
2. लघु सीमांत कृषकों को दिये जाने वाले अनुदान का आधा भाग केन्द्र शासन वहन करता है तथा आधा भाग राज्य शासन वहन करता है ।
3. यदि दावे प्रीमियम राशि से अधिक बनते है तो बड़ी हुई दावा राशि का भुगतान योजना प्रावधान अनुसार केन्द्र एवं राज्य शासन को मिलकर आधा–आधा वहन करना पड़ता है ।